NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

1st ANNUAL REPORT 2016-17

NHSRCL
National High Speed Rail Corporation Ltd.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पहली वार्षिक रिपोर्ट

2016–17

पहली वार्षिक रिपोर्ट
(12 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2017)

विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	**3**
अध्यक्ष का संबोधन	**4-5**
रिपोर्टें	
निदेशकों की रिपोर्ट	**7-16**
सचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	**18-21**
वार्षिक विवरणी का सार (फार्म संख्या एमजीटी–9)	**23-28**
वित्तीय विवरण:	
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	**30-39**
तुलन पत्र	**41**
लाभ एवं हानि विवरण	**42**
रोकड़ प्रवाह विवरण	**43-44**
वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां: इक्विटी में बदलाव के विवरण सहित (पेज 48 पर)	**45-54**
वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	**56-57**

निदेशक मंडल

1. **श्री अश्वनी लोहानी,** अध्यक्ष (पदेन) (रेलवे मंत्रालय के नामिति दिनांक 25.08.2017 से)
2. **श्री अचल खरे,** प्रबंध निदेशक दिनांक 05.05.2017 से
3. **श्री सुशांत कुमार मिश्रा, निदेशक** (रेलवे मंत्रालय के नामिति दिनांक 25.08.2017 से)
4. **श्री संजय उप्रेती, निदेशक** (रेलवे मंत्रालय के नामिति)
5. **सुश्री नमिता मेहरोत्रा, निदेशक** (रेलवे मंत्रालय के नामिति दिनांक 25.08.2017 से)

कंपनी सचिव

सुश्री सुमिता शर्मा

पंजीकृत कार्यालय

कमरा नंबर 101–ए, रेल भवन,
रायसीना मार्ग,
नई दिल्ली–110001

कॉर्पोरेट कार्यालय

द्वितीय तल, एशिया भवन,
रोड़ नंबर 205, सेक्टर–9,
द्वारका, नई दिल्ली–110077

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सहगल मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
10173/2, ब्लॉक नंबर 15,
अब्दुल अजीज रोड, डब्ल्यूईए,
करोल बाग, नई दिल्ली – 110005

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारक मित्रों,

मैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसाकि आप सभी जानते हैं कि आपकी कंपनी की स्थापना 12 फरवरी, 2016 को हुई थी।

शेयरधारकों, निदेशकों, सलाहकारों आदि के रूप में, इस कंपनी से जुड़कर, हम सभी अपने आप को आनंदित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। कंपनी का मिशन, उभरते भारत को उन चुनिंदा देशों (लगभग 15) के समूह में शामिल करना है, जो हाई स्पीड रेल प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिसे जापान सरकार की तकनीकी और आर्थिक सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें कुल बारह रेलवे स्टेशन होंगे, जो महाराष्ट्र, गुजरात और केन्द्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली में बनाए जाएंगे और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर होगी।

हाई स्पीड रेल (एचएसआर) परियोजना न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी बल्कि इससे अनेक दूसरे लाभ भी प्राप्त होंगे, जैसे यात्रा समय में कमी, गाड़ी परिचालन लागत में कमी, प्रदूषण में कमी, रोजगार के नए अवसर, दुर्घटनाओं में कमी/बेहतर सुरक्षा और प्रदूषकों में कमी। यह परियोजना अवसंरचना को नई ताकत देगी और अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार को तेज करने वाली होगी।

एकीकृत प्रणाली होने के फलस्वरूप, हाई स्पीड रेल विभिन्न घटकों अर्थात् हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हयूमन वेयर और उनके इंटरफेस का समग्र और सर्वश्रेष्ठ मिश्रण होगी।

इस परियोजना की कुल लागत 1,10,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें निर्माण एवं प्रापण लागत, परामर्श सेवा शुल्क, भूमि अधिग्रहण लागत, प्रशासनिक लागत और आकस्मिक व्यय शामिल हैं। इस परियोजना को वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य, निर्धारित किया गया है, मगर कंपनी इससे पहले यानी 15 अगस्त, 2022 तक इस परियोजना को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगी।

वित्त

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर, कंपनी को रेल मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार और दो राज्य सरकारों यथा गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ संयुकत क्षेत्र में एक 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' के रूप में स्थापित किया गया है।

कंपनी की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान, रेल मंत्रालय ने कुल 500 करोड़ रुपये और गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी का योगदान दिया है। महाराष्ट्र सरकार को अभी कंपनी की शेयर पूंजी में अपने हिस्से का अंशदान करना है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई प्रचालन आय प्राप्त नहीं हुई क्योंकि इस दौरान कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया।

कर्मचारी विकास

कंपनी को हाई स्पीड कॉरिडोर के कार्य शुरू करने के लिए लगभग 4000 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। ये कर्मचारी हाई स्पीड प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करने में काफी कुशल होने चाहिए ताकि परियोजना को कुशल और असरदार तरीके से निष्पादित किया जा सके। ऐसे दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी बड़ोदरा में एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करेगी।

आभार

किसी नए उद्यम को शुरू करना और उसे अपनी आंखों के सामने कार्यान्वित होते हुए देखने से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं हो सकता, हालांकि इसके लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ मजबूत इरादों और प्रतिबद्धता का परिचय देना होता है। कंपनी का सफर बेशक लंबा है, मगर अथक मेहनत के परिणाम उतने ही सुखद और सुनहरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

मैं, कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से कंपनी के सभी सहयोगियों, रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं गुजरात की राज्य सरकारों, जापान सरकार, जे आई सीए और शेयरधारकों का उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं भविष्य में भी आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं।

(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष

दिनांक : 04 दिसंबर, 2017
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) और सहभागी राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम

(सीआईएन : यू60200डीएल2016जीओआई291002)

निदेशकों की रिपोर्ट

सम्मानित शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशक, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष/अवधि के लिए, कंपनी के अंकेक्षित लेखा विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

कंपनी की स्थिति

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 12 फरवरी, 2016 को 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का वित्तपोषण, निर्माण, देखरेख और प्रबंधन करना है। रेल मंत्रालय, भारत सरकार, एनएचएसआरसीएल का प्रवर्तक है और महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य सरकारों को एनएचएसआरसीएल का शेयरधारक बनने का प्रस्ताव किया गया है।

व्यवसाय निष्पादन

1. गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर।
2. सामान्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु जेआईसीए के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर।
3. मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का कार्य प्रारंभ करना।

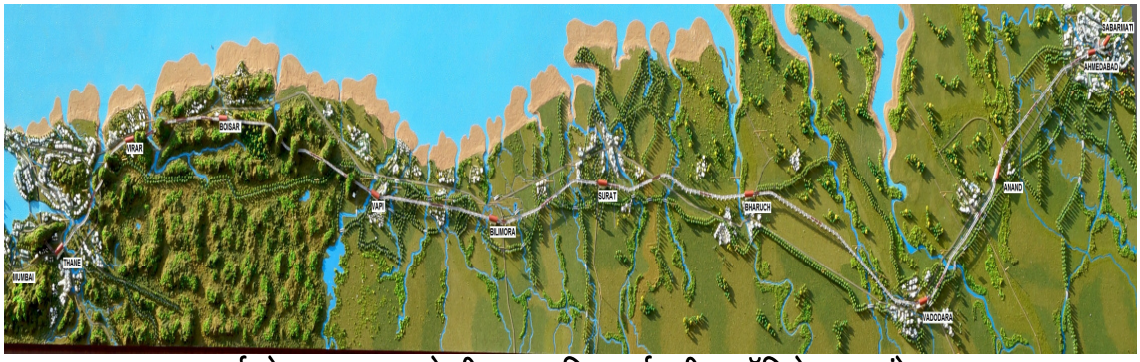

मुम्बई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर का संरेखण

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**12 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2017 तक**
प्राधिकृत शेयर पूंजी	20000
चुकता शेयर पूंजी	200
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	300
कुल आय	12.48
प्रचालन आय	-
व्यय	3.21
कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	9.26
कर के लिए प्रावधान	3.33
कर उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	5.92
प्रति शेयर आमदनी	-
- बेसिक	43.81
-तनुकृत	43.55

*नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं की हैं क्योंकि परियोजना अभी अपने प्रारंभिक चरण में है।

कंपनी की स्थापना के बाद से बैंकों से एफडीआर से ब्याज आय की मद में 12.48 करोड़ रुपये की अन्य आय हुई है। 3.21 करोड़ रुपये के व्यय पूरा करने और 3.33 करोड़ रुपये का कर देने के बाद, 31 मार्च, 2017 को 5.92 करोड़ रुपये का अधिशेष है।

पूंजी संरचना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 20000 करोड़ रुपये है जो 1000 रुपये मूल्य वाले 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31 मार्च, 2017 को कंपनी की चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये है, जो एनएचएसआरसीएल की स्थापना के समय रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं। 31 मार्च, 2017 को भी रेल मंत्रालय ने एनएचएसआरसीएल के 300 करोड़ रुपये के शेयर सब्सक्राइब किए हैं। इस परियोजना की अनुमानित लैंडिड लागत 1,10,000 करोड़ रुपये है। ऋण की व्यवस्था जेआईसीए वित्तपोषण के जरिये की जाएगी।

प्रस्तावित इक्विटी संरचना

एनएचएसआरसीएल की प्रस्तावित पूंजी संरचना निम्नानुसार हैः–

नाम	**प्रस्तावित इक्विटी अंशदान (रुपये करोड़ में)**	**कुल इक्विटी का प्रतिशत**
भारत सरकार (रेल मंत्रालय)	10000	50
महाराष्ट्र सरकार	5000	25
गुजरात सरकार	5000	25
कुल	**20000**	**100**

*गुजरात सरकार ने एनएचएसआरसीएल में इक्विटी शेयरों के अभिदान के लिए 5 करोड़ रुपये दिए हैं। भारत सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के बीच जल्दी ही शेयरधारक समझौते/सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

परियोजना की स्थिति

मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं:–

1. अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (एफएलएस) और भूमि जांच (जीआई) का कार्य राइट्स को सौंपा गया है और यह अंतिम चरण में है। प्रेस में जाने के समय तक भूमि जांच का 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया था। एलआईडीएआर सर्वेक्षण, जो संरेखण डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है, का कार्य पूरा कर लिया गया है और 17.04.2017 को इसके डेटा जेआईसी को दे दिए गए हैं।

2. सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) तैयार किया जा रहा है। चवालीस (कुल 64 में से) जीएडी स्वीकृति हेतु विभिन्न हितधारकों को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

3. रेलपथ, सुरंग, वायाडक्ट एवं पुलों, भू–संरचनाओं, स्टेशनों, ओसीसी, सिगनल एवं दूरसंचार के लिए आयामों की अनुसूची (एसओडी) और एमएसएस को अंतिम रूप दे दिया गया है और जापानी विशेषज्ञों ने भी इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी है।

4. गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिए रिसेटलमेंट कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वयन (आरएपी/एसआईए) हेतु कंसलटेंसी 09.06.2017 को प्रदान कर दी गई है।

साबरमती हाई स्पीड रेल स्टेशन का प्रस्तावित ले–आउट

5. प्रशिक्षण संस्थान में स्लैब ट्रैक के साथ ट्रेनिंग लाइन हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोल दी गई है और इस संबंध में बातचीत चल रही है। प्रशिक्षण संस्थान के लिए रहने/ठहरने की सुविधा हेतु निविदा जारी कर दी गई है।

6. प्रशिक्षण संस्थान की साइट, जो पहले गांधी नगर में थी, उसे अब वडोदरा शिफ्ट कर दिया गया है। एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान के लिए एनएआईआर में लैंड पार्सल की पहचान कर ली गई है।

वडोदरा में हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रस्तावित छात्रावास

7. राइट्स को साबरमती में पश्चिम रेलवे की मौजूदा सुविधाओं को शिफ्ट करने का काम सौंपा जा रहा है, जिनमें फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट, ट्रैक मैचिंग वर्कशॉप, स्टोर डिपो आदि शामिल हैं।

8. एनएचएसआरसीएल वडोदरा में प्रशिक्षण संस्थान के लिए भव्य समारोह सहित साबरमती में परियोजना शुभारंभ समारोह का आयोजन करेगा।

अध्यक्षीय निदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई अध्यक्षीय निदेश प्राप्त नहीं हुआ।

लाभांश

वर्तमान में, कंपनी परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। चूंकि वाणिज्यिक कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं, अतः कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

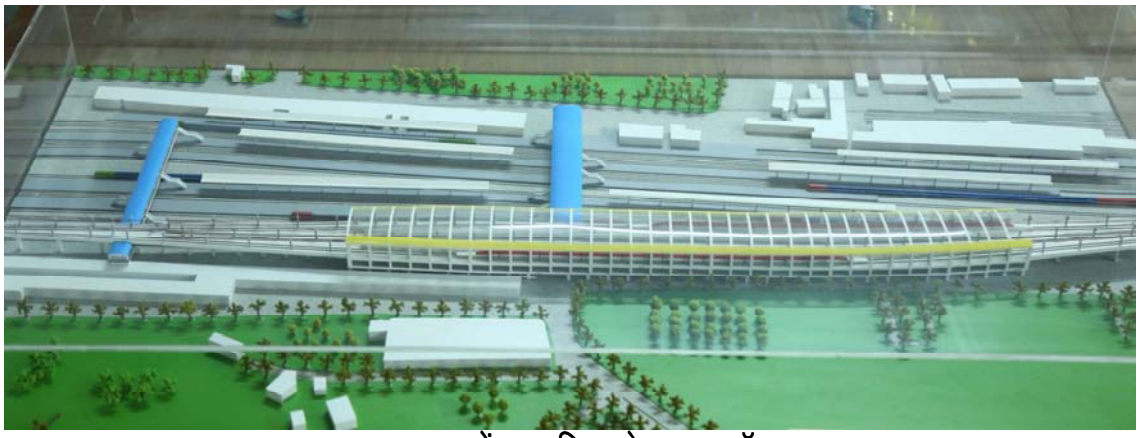

अहमदाबाद में प्रस्तावित स्टेशन का मॉडल

आरक्षित निधियां

कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 5.92 करोड़ रुपये आरक्षित निधि में अंतरित किए हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव और प्रतिबद्धताएं

कंपनी की स्थापना से लेकर इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण बदलाव और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के अनुसरण में फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का सार संलग्न है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचना, निदेशकों की श्रेणी और उनकी बैठकें

निदेशक मंडल कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। कंपनी के निदेशक मंडल में रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त गैर–कार्यकारी नामिति निदेशक हैं।

31 मार्च, 2017 को निदेशक मंडल में तीन (3) निदेशक थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	नाम	डीआईएन संख्या	पदनाम
1.	श्री अचल खरे (पूर्व सलाहकार, इन्फ्रा/रेलवे बोर्ड)	07576351	निदेशक, समन्वय निदेशक के रूप में नामित (रेल मंत्रालय के नामिति)

2.	श्री मुकुल सरन माथुर (पूर्व कार्यकारी निदेशक/यातायात/पीपीपी/रेलवे बोर्ड)	07361718	निदेशक (रेल मंत्रालय के नामिति)
3.	श्री संजय उप्रेती (कार्यकारी निदेशक/वित्त/(वाणिज्य)/रेलवे बोर्ड)	06498752	निदेशक (रेल मंत्रालय के नामिति)

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने दिनांक 20.04.2017 के पत्रांक 2016/E(O)II/40/19 के द्वारा श्री अचल खरे को एनएचएसआरसीएल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और निदेशक मंडल ने 05.05.2017 की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की है।

निदेशक मंडल की बैठक

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुई समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने 12 फरवरी, 2016 की अपनी स्थापना की तिथि से पांच (5) बैठकें की हैं।

निदेशक मंडल की पहली बैठक – 9 मार्च, 2016;
निदेशक मंडल की दूसरी बैठक – 30 मई, 2016;
निदेशक मंडल की तीसरी बैठक – 30 अगस्त, 2016;
निदेशक मंडल की चौथी बैठक – 27 दिसंबर, 2016;
निदेशक मंडल की पांचवी बैठक – 31 मार्च, 2017;

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुई समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	**निदेशक का नाम**	**पदनाम**	**आयोजित बैठकों की संख्या**	**उपस्थिति**
1	श्री गिरीश पिल्लई	समन्वय निदेशक (रेल मंत्रालय के नामिति)	3	3
2	श्री मुकुल सरन माथुर	निदेशक (रेल मंत्रालय के नामिति)	5	5
3	श्री पी. वी. वैद्यलिंगम	निदेशक (रेल मंत्रालय के नामिति)	4	4
4	श्री अचल खरे	समन्वय निदेशक (रेल मंत्रालय के नामिति)	2	2
5	श्री संजय उप्रेती	निदेशक (रेल मंत्रालय के नामिति)	1	1

12 फरवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान बोर्ड में हुए बदलाव

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित निदेशक कार्यभार मुक्त हुए:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यभार मुक्त होने की तिथि
1	श्री गिरीश पिल्लई, समन्वय निदेशक (पूर्व	12.02.2016	15.09.2016

	अपर सदस्य/पर्यटन एवं खानपान और इन्फ्रा/रेलवे बोर्ड)		
2	श्री पी. वी. वैद्यलिंगम, निदेशक (पूर्व सलाहकार वित्त/रेलवे बोर्ड)	12.02.2016	31.03.2017

बोर्ड की समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 178(1) के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने संबंधी अपेक्षा का इस संबंध में कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम संशोधनों के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार एनएचएसआरसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की अपेक्षा की इस संबंध में कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम संशोधनों के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी नीति

31 मार्च, 2017 को कंपनी के निदेशक मंडल में तीन निदेशक थे, ये सभी रेल मंत्रालय द्वारा नामित किए गए अंशकालिक निदेशक हैं। आज तिथि तक, प्रबंध निदेशक को छोड़कर कंपनी में किसी पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। रेल मंत्रालय पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में लगा हुआ है और यथा समय इसे पूरा किया जाएगा और यह कंपनी अधिनियम की धारा 178 के उपबंधों की अधीन होगी। एनएचएसआरसीएल के निदेशक मंडल की नियुक्ति कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार की जाएगी।

ऋण, गारंटी और निवेशों के विवरण

कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण/गारंटी नहीं दी/निवेश नहीं किया।

संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण या संविदाएं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कोई संविदा या समझौता नहीं किया।

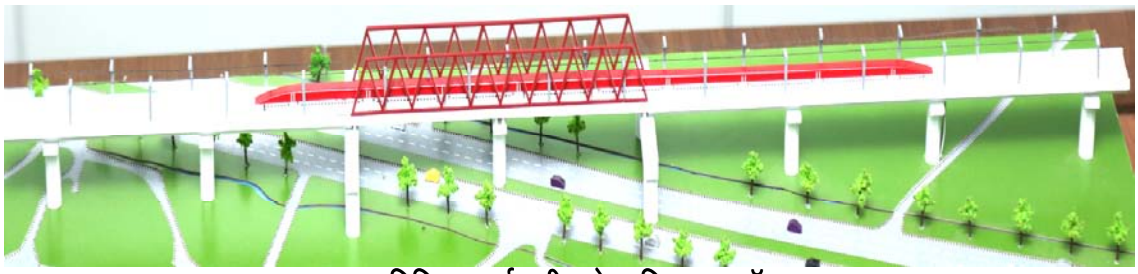

एक विशिष्ट हाई स्पीड रेल ब्रिज का मॉडल

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों का अनुपालन करने, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और चूक रोकने और पता लगाने, लेखा रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटन समय पर तैयार करने सहित अपने व्यवसाय का यथोचित एवं कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और कार्यविधियों का अनुसरण किया है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके आकार, स्तर तथा इसके कार्यों की जटिलताओं के अनुरूप है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त मैसर्स सहगल मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली की रिपोर्ट संलग्न है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यताओं, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यताओं, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर बोर्ड के स्पष्टीकरण या उत्तर कुछ नहीं हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

31 मार्च, 2017 को कंपनी के पास ऐसी कोई परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए जोखिम को कवर करने के लिए किसी बीमा पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति

कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन करना जरूरी नहीं है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत नहीं आती है और इसीलिए इसके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट अधिशासन

कंपनी कॉर्पोरेट अधिशासन की मूल भावना को बनाए रखेगी और सर्वश्रेष्ठ अधिशासन पद्धतियां लागू करेगी। यह पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक प्रचालन पद्धतियों और पेशेवर प्रबंधन पर अधिक बल देती है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उपक्रम या एसोसिएट कंपनियां

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सहायक/संयुक्त उपक्रम/एसोसिएट कंपनी बनी या बंद हुई।

जमाराशियां

कंपनी (जमाराशियां स्वीकार करना) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की।

विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित आदेश

विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जो कंपनी की वर्तमान स्थिति या प्रचालनों को प्रभावित करता हो।

निदेशकों की जिम्मेदारी

आपके निदेशक आपको सूचित करते हैं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के अंकेक्षित लेखें, जिनमें वित्तीय विवरण शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप हैं और उनका मानना है कि वित्तीय विवरण रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए लेन–देनों की निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स सहगल मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा अंकेक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम, खासकर कंपनी के प्रचालनों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यथोचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, कंपनी के निदेशक पुष्टि करते हैं किः–

क) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखामानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया एवं उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए, जो व्यवहारिक एवं उचित है तथा वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यप्रणाली तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि विवरण की सही तस्वीर पेश करते हैं;

ग) कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्ति की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार की अनियमिततओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए निदेशकों ने पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने पर उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया;

घ) निदेशकों द्वारा चालू प्रतिष्ठानों (Going Concern) के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की और ये प्रणालियां पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

मुम्बई में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल टर्मिनल

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय संबंधी विवरण

क) चूंकि एनएचएसआरसीएल को अपना वाणिज्यिक प्रचालन अभी शुरू करना है। अतः ऊर्जा संरक्षा के सबंध में कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 8(3)(ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत अपेक्षित विवरण फिलहाल कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ख) कोई प्रौद्योगिकी समाहित नहीं की गई।

ग) कंपनी में कोई विदेशी मुद्रा अर्जित या खर्च नहीं की गई।

आभार

आपके निदेशक रेल मंत्रालय, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं विभिन्न हितधारकों जैसे कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दिए गए सहयोग और मागर्दशन के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0	**हस्ता0**
अचल खरे	संजय उप्रेती
प्रबंध निदेशक	निदेशक
(डीआईएन: 07576351)	(डीआईएन: 06498752)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 अगस्त, 2017

सचिविक
लेखापरीक्षा रिपोर्ट

जतिन गुप्ता एंड
एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष/अवधि के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (204) (1) व कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्यगण
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(रेल मंत्रालय और सहभागी राज्यों का संयुक्त उपक्रम)
नई दिल्ली।

सीआईएन : यू60200डीएल2016जीओआई291002

1. हमने कंपनी द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन की सचिविक लेखापरीक्षा कर ली है। सचिविक लेखापरीक्षा इस विधि से संपन्न की गई है, जिसने हमें कार्पोरेट कार्यों/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इन पर अपने मत व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आधार मुहैया कराए हैं।
2. हमने निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखे गए रजिस्टरों, बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म एवं फाइल की गई विवरणियों और अन्य रिकार्डों की जांच कर ली है:
   I. कंपनी अधिनियम, 2013 (इसमें आगे जिसे 'अधिनियम' कहा गया है) और अनुपालन के लिए अपेक्षित उसके तहत बनाए गए नियम;
   II. ज्ञापन और कंपनी के अंतर्नियम।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच कर ली है:–

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिविक मानक।

3. कंपनी की बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और फाइल की गई विवरणियों और कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्ड, जो हमें उपलब्ध कराए गए और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिविक लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच के आधार पर हम टिप्पणी करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 12 फरवरी, 2016 से 31.03.2017 (स्थापना के पहले वर्ष) की अवधि के दौरान विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया और यह भी कि कंपनी के पास इसमें नीचे की जा रिपोर्टिंग के अधीन उपयुक्त बोर्ड प्रोसेस और अनुपालन प्रणाली है:
   i. विभिन्न सांविधिक रजिस्टर और दस्तावेज बनाना और उनमें जरूरी प्रविष्टियां करना;
   ii. कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के लिए अपेक्षित फार्म, विवरणियां, दस्तावेज और संकल्प;

303, 10159, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005
फोन : 011–2251 6741, ई–मेल : jainfcs@gmail.com

iii. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखापरीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार के लिए दस्तावेजों की सेवा;

iv. निदेशकों की बोर्ड बैठकों की सूचना;

v. निदेशकों की बैठकें;

vi. वार्षिक आम बैठक की सूचना और आयोजन करना (स्थापना के पहले वर्ष में अपेक्षित नहीं है) और उक्त अवधि के दौरान, कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई;

vii. बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त;

viii. निदेशक मंडल की स्वीकृति लेना, जहां कहीं अपेक्षित हों;

ix. बोर्ड के निदेशकों और समितियों का गठन करना और निदेशकों की नियुक्ति करना (हालांकि नामिति निदेशक हैं);

x. सांविधिक लेखापरीक्षकों (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा) की नियुक्ति और पारिश्रमिक;

xi. कंपनी के शेयर अंतरित करना, शेयरों का निगर्मन और आबंटन;

xii. अनुबंध, पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम का प्रकाशन;

xiii. निदेशक मंडल की रिपोर्ट;

xiv. कंपनी की निधियों का निवेश;

xv. सामान्यतः अधिनियम के लागू सभी उपबंध और उनके तहत बनाए गए नियम;

xvi. कंपनी में सही और इसमें आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन प्रणाली है और ये भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सचिविक मानकों के लागू खंडों के अनुरूप भी है। हमारी राय में कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन प्रणाली है और उसने लागू सांविधिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, और तत्संबंधी कंपनी के ज्ञापन और अंतर्नियमों का अनुपालन किया है।

4. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हालांकि कंपनी एक सरकारर कंपनी है, फिर भीः

i. कंपनी ने हितों के प्रकटन और संविदाओं एवं व्यवस्थाओं में चिंताओं, अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप व शेयरधारिता और अन्य यूनिटों में हितों के संबंध में अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;

ii. कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया हे इसलिए लागू अधिनियम के तहत स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं था।

iii. कंपनी अधिनियम और नियमों, विनियमों और अधिनियमों के तहत दिशानिर्देशों के अंतर्गत समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू नहीं किया गया और ना ही कंपनी को कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ।

5. हम यह भी टिप्पणी करते हैं कि वर्ष के दौरानः

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकारी कंपनी का दर्जा बरकरार रहा क्योंकि कंपनी की संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी 31 मार्च, 2017 को रेल मंत्रालय के पास थी। इसके अलावा, हमारा यह मत है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों का निरंतर अनुपालन कर रही है और स्थापना के बाद पहला वर्ष होने

और अभी तक कोई वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किए जाने के कारण रिपोर्ट के तहत आने वाली अवधि के दौरान कंपनी पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं हुआ (कंपनी की संकल्पना अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के प्रयोजन से की गई, जिसका प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है)।

i. इस संबंध में अनुपालन किया गया, इस तथ्य की जांच कंपनी द्वारा रखे जा रहे विभिन्न रिकार्ड की जांच द्वारा किया गया; और

ii. कंपनी के निदेशक मंडल का गठन नामिति और कार्यात्मक निदेशकों के साथ विधिवित रूप से किया गया है। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन, जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए (रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार)। हम सूचित करते हैं कि सरकारी कंपनी होने नाते कंपनी के निदेशक मंडल में नामिति निदेशक हैं और इसलिए धारा 149 के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त धारा के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

iii. सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट लागू उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार भेजे गए थे और बैठक से पहले, बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा की मदों पर अधिक सूचना अैर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सिस्टम मौजूद है।

iv. कंपनी ने सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

हम यह भी टिप्पणी करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.11.2017

जतिन गुप्ता
स्वत्वधारी

कृते जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सीपी नंबर: 5236; एफसीएस नंबर: 5651

टिप्पणीः यह रिपोर्ट समसंख्यक तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाएं, जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का भाग है।

जतिन गुप्ता एंड
एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

अनुलग्नक–क

सेवा में,

सदस्यगण
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(रेल मंत्रालय और सहभागी राज्यों का संयुक्त उपक्रम)
नई दिल्ली।

सीआईएन : यू60200डीएल2016जीओआई291002

समसंख्यक तारीख की हमारी सचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएं:

क. सचिविक रिकॉर्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिविक रिकार्ड पर अपनी राय देना है।

ख. हमने सचिविक रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथोचित लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि सचिविक रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रदर्शित हों। हमारा विश्वाास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया गया, उन्होंने हमारी राय के लिए यथोचित आधार उपलब्ध कराए हैं।

ग. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

घ. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

च. सचिविक लेखापरीक्षा न तो कंपनी की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही उस कुशलता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके जरिये प्रबंधन कंपनी के कार्य करता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.11.2017

जतिन गुप्ता
स्वत्वधारी
ह0/–
कृते जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सीपी नंबर: 5236
एफसीएस नंबर: 5651

303, 10159, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005
फोन : 011–2251 6741, ई–मेल : jainfcs@gmail.com

वार्षिक विवरणी का सार
(फार्म संख्या एमजीटी–9)

फार्म संख्या एमजीटी – 9		
वार्षिक विवरणी का सार		
31/03/2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए		
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)		
I	**पंजीकरण और अन्य विवरणः**	
i	सीआईएन	**यू60200डीएल2016जीओआई291002**
ii	पंजीकरण की तारीख	12 फरवरी 2016
iii	कंपनी का नाम	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/केन्द्र सरकार की कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	कमरा नंबर 101–ए, रेल भवन, रायसीना मार्ग, नई दिल्ली–110001
vi	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	असूचीबद्ध
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं
II	**कंपनी के मुख्य व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप**	
	कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का अंशदान करने वाले व्यवसाय संबंधी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगाः	

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1			
III	**धारिता, सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनियों के विवरण**		**शून्य**

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता/सहायक कंपनी/ सहयोगी कंपनी	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू धारा
1	**शून्य**	–	–	–	–
2	**शून्य**	–	–	–	–
3	**शून्य**	–	–	–	–

IV	शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)								
शेयरधारकों की श्रेणी	**वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के दौरान बदलाव %**
	डीमैट	**मूर्त**	**जोड़**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**	**डीमैट**	**मूर्त**	**जोड़**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) एकल/एचयूएफ									
ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार	**शून्य**	**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**	**शून्य**	**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**	
ग) कॉर्पोरेट निकाय									
घ) बैंक/एफआई									
ड.) कोई अन्य									
उप जोड़: (क) (1)		**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**		**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**	

(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई–एकल									
ख) अन्य एकल व्यक्ति									
ग) कॉर्पोरेट निकाय									
घ) बैंक/एफआई									
ड.) कोई अन्य...									
उप जोड़ (क) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2)		**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**		**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**	शून्य
ख. पब्लिक शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/एफआई									
ग) केन्द्र सरकार									
घ) राज्य सरकार									
ड.) उपक्रम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआईएस									
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधि									
झ) अन्य (उल्लेख करें)									
उप जोड़ (ख) **(1):**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(2) गैर–संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) कॉर्पोरेट निकाय									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) एकल									
i) 1 लाख रु. तक की नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले एकल शेयरधारक									
ii) 1 लाख रु. से अधिक की नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले एकल शेयरधारक									
ग) अन्य (उल्लेख करें)									
उप जोड. (ख) **(2):**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख)= (ख) (1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल जोड़ (क+ख+ग)		**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**		**20,00,000**	**20,00,000**	**100.00**	

(ii)	प्रमोटरों की शेयरधारिता							
क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (12.02.2016 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2017 को)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत बदलाव
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों से बंधक ऋणभारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों से बंधक ऋणभारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय) व उनके 12 नामितियों के साथ	12	100.00	0	20,00,000	100.00	0	100
	जोड़	**12**	**100**	**0**	**20,00,000**	**100**	**0**	**100**

(iii) **प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव (अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो बताएं):**

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (12.02. 2016 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	12	100	12	100
	वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी। *(भारत के राष्ट्रपति, रेल मंत्रालय को शेयरों का आबंटन)*	19,99,988	100	19,99,988	100
	वर्ष के अंत में	20,00,000	100	20,00,000	100

(iv) **शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर व एडीआर धारकों के अलावा)**

क्र. सं.		वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
	वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को, अगर वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	0	0	0	0

(v) **निदेशकों और केएमपी की शेयरधारिता ***

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
	वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0	0	0

V **ऋणभार**

देय ब्याज/उपचित मगर भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी का ऋणभार				
	जमाराशियों को छोड़कर जमानती ऋण	**गैर–जमानती ऋण**	**जमाराशियां**	**कुल ऋणभार**
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणभार				
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) ब्याज, जो देय है मगर अदा नहीं किया गया है	0	0	0	0
iii) उपचित ब्याज, मगर देय नहीं है	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
वृद्धि	0	0	0	0
कमी	0	0	0	0
शुद्ध परिवर्तन	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभार				
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) ब्याज, जो देय है मगर अदा नहीं किया गया है	0	0	0	0
iii) उपचित ब्याज, मगर देय नहीं है	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	0	0	0	0

VI **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक**

क. **प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक (प्रति माह):**

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**			**कुल राशि**
1	**सकल वेतन**	श्री अचल खरे (प्रबंध निदेशक)			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	–	2,11,300	–	–
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) की तहत अनुलाभों का मूल्य	–	–	–	–

	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ				
2	स्टॉक विकल्प		–	–	–
3	उद्यम इक्विटी		–	–	–
4	कमीशन		–	–	–
	लाभ का प्रतिशत		–	–	–
	अन्य (उल्लेख करें)		–	–	–
5	अन्य कृपया उल्लेख करें		51324	–	–
	जोड़ (क)		2,62,624	–	–

ख. **अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः** **शून्य**

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**निदेशकों के नाम**		**कुल राशि**
1	**स्वतंत्र निदेशक**			
	(क) बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए फीस			
	(ख) कमीशन			
	(ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें			
	जोड़ (1)			
2	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक			
	(क) बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए फीस			
	(ख) कमीशन			
	(ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें			
	जोड़ (2)			
	जोड़ (ख)**=(1+2)**			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा			

ग. **एमडी/प्रंबधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक**

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी**			
1	**सकल वेतन**	**सीईओ**	**कंपनी सचिव**	**सीएफओ**	**जोड़**
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	–	–	–	–
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) की तहत अनुलाभों का मूल्य	–	–	–	–
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–
4	कमीशन	–	–	–	–
	लाभ का प्रतिशत	–	–	–	–
	अन्य (उल्लेख करें)	–	–	–	–
5	अन्य कृपया उल्लेख करें	–	–	–	–
	जोड़	–	–	–	–

VII **अर्थदंड/दंड/अपराध का प्रशमन :: शून्य**

प्रकार	**कंपनी अधिनियम की धारा**	**संक्षिप्त विवरण**	**अर्थदंड/दंड/ लगाया गया कुल शुल्क**	**प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)**	**दायर की की याचिका, अगर कोई हों (ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
अर्थदंड	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
प्रशमन	–	–	–	–	–
ख. निदेशक					
अर्थदंड	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
प्रशमन	–	–	–	–	–
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
अर्थदंड	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
प्रशमन	–	–	–	–	–

	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
	ह0/– अचल खरे प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 07576351)	ह0/– संजय उप्रेती निदेशक (डीआईएन :06498752)
स्थान : नई दिल्ली		
दिनांक : 25 अगस्त, 2017		

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सहगल मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

10173/2, ब्लॉक नंबर 15,
अब्दुल अजीज रोड, डब्ल्यूईए,
करोल बाग, नई दिल्ली – 110005
फोन नंबर : 011–4506 4845
ई–मेल : sehgalmehta@hotmail.com
sehgalmehta@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण सहित वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और उसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित विशिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन के साथ रोकड़ प्रवाह को वास्तविक और सही रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षा उपायों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना एवं जांच करना; उचित लेखांकन पद्धतियों का चयन और प्रयोग करना; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान तैयार करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, जो वास्तविक तथा सही स्थिति प्रस्तुत करते हो और किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो, चाहे धोखाधड़ी से हो या चूक से हो, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, शामिल हैं।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत्त प्रस्तुत करना है।

हमने उन सभी अधिनियम, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और मुद्दों के प्रावधानों का ध्यान रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करे और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करे और लेखा परीक्षा करे ताकि वित्तीय विवरण किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पद्धतियों का निष्पादन शामिल है। चुनी गई पद्धति लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या कथन के जोखिम का आंकलनों करना शामिल है, चाहे ये धोखाधड़ी से हो या चूक से हों। इन जोखिम आंकलनों को तैयार करने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो लेखापरीक्षा को डिजाइन करने के संबंध में एक वास्तविक और सही तस्वीर पेश करते हो, जो कि उन स्थितियों में उपयुक्त हो। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए प्रमाण वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

अभिमत्त

हमारे अभिमत्त तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर उपरोक्त वित्तीय विवरण, इस अधिनियम के तहत अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं और अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को कंपनी के कार्यकलापों, इसके लाभ एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह की वास्तविक तथा सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' पर अनुपालन प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी तथा यथा–संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षाओं के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण **अनुलग्नक 'ख'** पर प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः–

क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारे अभिमत में संबंधित कानून की अपेक्षा के अनुसार यथोचित लेखा बहियों को रखा गया था, जैसा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग. इस रिपोर्ट द्वारा देखे जाने वाले तुलन पत्र, लाभ एवं हानि, रोकड़ प्रवाह विवरण का ब्यौरा लेखा बहियों के अनुसार हैं।

घ. हमारे अभिमत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014, जिसमें कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा संशोधन किया गया है, के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।

ड. कंपनी मामले मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनिक प्रभावकारिता के सबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट **"अनुलग्नक ग"** में देखें।

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य मदों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः–

i. कंपनी पर कोई लंबित मुकदमा नहीं है जिसका प्रभाव उसके वित्तीय विवरणों की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके संबंध में पहले से देखी गई किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि हो।

iii. ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

iv. कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30, दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट की इसकी धारिता और डीलिंग के संबंध में वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन किया है और ये कंपनी द्वारा रखी जा रही लेखा बहियों के अनुसार हैं। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 21 देखें।

सहगल मेहता एंड कंपनी के लिए और की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण नंबरः 003330एन
ह0/–
(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 515717

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 25.08.2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ''क''

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 6(I) के संदर्भ में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

क्र.सं.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देश	हमारी रिपोर्ट	तत्संबंधी की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट टाइटल/लीज डीड है? अगर नही ंतो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास अपनी कोई भूमि या भवन नहीं है और यह किराये के परिसर में काम कर रही है, जिसके लिए यथोचित किराया समझौते उपलब्ध हैं।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं।	कोई नहीं
2	कृपया बताएं कि उधार/ऋण/ब्याज को माफ/समाप्त करने का कोई मामला हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और इसमें शामिल राशि बताएं।	उधार/ऋण/ब्याज को माफ/समाप्त करने का कोई मामला नहीं है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं।	कोई नहीं
3	क्या तीसरे पक्षों के पास रखी वस्तुसूची और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा जाता है।	तीसरे पक्षों के पास कोई वस्तुसूची नहीं रखी गई है और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं।	कोई नहीं

कृते सहगल मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण नंबरः 003330एन
ह0/–
(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
(सदस्यता संख्याः 515717)
हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ''ख''

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लिए हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के खंड ''अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' का पैरा–1 देखें:–

1) क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित विवरणों को पूर्ण रूप से दर्शाने वाले रिकार्डों को उचित रूप से तैयार किया है;

ख) प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया गया, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार उचित है। कार्यक्रम के अनुपालन में वर्ष के दौरान प्रबंधन ने अचल परिसपंत्तियों के एक भाग का भौतिक सत्यापन किया और बहियों के रिकार्ड तथा अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई;

ग) कंपनी के नाम पर कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।

2) संपन्न लेखापरीक्षा कार्यविधियों और मैनेजमेंट द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है, तदनुसार, आदेश का खंड 3(ii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

3) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत तैयार रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता वाली साझेदारी अथवा अन्य पक्षों को कोई जमानती या गैर–जमानती ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii) (क) से (ग) तक के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

4) हमारे अभिमत्त और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटी एवं प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

5) कंपनी ने जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए जनता से जमाराशि स्वीकार करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के उपबंध और कोई अन्य प्रासंगिक उपबंध और कंपनी (जमाराशि स्वीकार करना) नियमावली, 2015 के नियम लागू नहीं होते हैं।

6) ''हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकार्ड रखने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए लेखा बहियों की विस्तृत समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखे तैयार किए गए और रखे गए हैं।''

7) क) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों और लेखा बहियों एवं रिकार्डों की जांच के अनुसार, कंपनी उस पर लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, सेवा कर, और अन्य

सांविधिक बकायों सहित विवाद रहित सांविधिक बकायों को संबंधित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को उपरोक्त के संबंध में कोई विवादग्रस्त देय राशि अपनी देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए देय नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण कोई आयकर, सेवा कर बकाया नहीं है।

8) कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया और न ही कोई ऋणपत्र जारी किया।

9) संपन्न लेखापरीक्षा कार्यविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने ऋण लेखपत्रों और मियादी ऋण सहित प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या और पब्लिक ऑफर के रूप में कोई राशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

10) संपन्न लेखापरीक्षा कार्यविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है।

11) संपन्न लेखापरीक्षा कार्यविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

12) हमारी राय में कंपनी निधि कंपनी नहीं है इसिलए आदेश का पैरा 3(xii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है।

13) संपन्न लेखापरीक्षा कार्यविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान के कोई संबंधित पक्ष लेन–देन नहीं किया। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

14) संपन्न लेखापरीक्षा कार्यविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई अधिमान आवंटन या निजी तौर पर शेयर आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

15) संपन्न लेखापरीक्षा कार्यविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने उनसे संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

16) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 1क के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

सहगल मेहता एंड कंपनी के लिए और की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण नंबरः 003330एन
ह0/–
(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 515717

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 25.08.2017

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च, 2017 को हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा कर ली है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के जरूरी घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, इन्हें लागू करना और बनाए रखना शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ इसके कामकाज के कुशल और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए असरदार तरीके से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत्त प्रकट करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक नोट ("मार्गदर्शक नोट") और लेखापरीक्षा के मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने की सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी दोनों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शक नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाए और उसे संपन्न करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए और बनाए रखे गए थे और ये नियंत्रण प्रत्येक दृष्टि से असरदार ढंग से काम कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालनिक प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यविधियां संपन्न करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक समझ विकसित करना, जोखिम का आकलन करना, जिसमें महत्वपूर्ण कमजोरियां निहित हैं, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालनिक प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई कार्यविधियां वित्तीय विवरण, चाहे कपटपूर्ण हों या चूक से हों, के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत्त के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और तैयारी के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकार्ड को रखने से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और स्थिति को सटीकता और निष्पक्षता से प्रदर्शित करते हैं; (2) यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यथा आवश्यक लेन–देन दर्ज किए गए हैं और कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्ति अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्थिति की रोकथाम और समय पर पता लगाने के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

नियंत्रणों के अधिलंघन पर मिलीभगत या अनुपयुक्त प्रबंधन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाओं के चलते चूक और धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या कथन हो सकते हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या कार्यविधियों के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

अभिमत्त

हमारे अभिमत्त में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर हर दृष्टि से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

सहगल मेहता एंड कंपनी के लिए और की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण नंबरः 003330एन
ह0/–
(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 515717

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2017

वित्तीय विवरण

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31.03.2017 को तुलन पत्र

सीआईएनः यू60200डीएल2016जीओआई291002

	विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च, 2017 को
				रुपये
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	**3**	2,000,000,000	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	**4**	59,293,418	2,059,293,418
2	**शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन**	**5**	3,000,000,000	3,000,000,000
3	**गैर चालू देयताएं**			
4	**चालू देयताएं**			
	(क) अन्य चालू देयताएं	**6**	22,215,647	
	(ख) अल्पकालिक प्रावधान	**7**	4,508,007	26,723,654
	जोड़			**5,086,017,072**
II.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	**8 (क)**	1,439,105	
	(ii) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)	**8 (ख)**	115,680,385	
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	**9**	5,485,582	
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	**10**	1,299,599	
				123,904,671
2	**चालू परिसपंत्तियां**			
	(क) रोकड़ और बैंक शेष	**11**	4,856,898,447	
	(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	**12**	432,127	
	(ग) अन्य चालू परिसपंत्तियां	**13**	104,781,827	
				4,962,112,401
	जोड़			**5,086,017,072**
III.	**वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां**	**1 से 22**		

यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते सहगल मेहता एंड कंपनी	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या : 003330एन ह0/– साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल सदस्यता संख्या : 515717	ह0/– अचल खरे प्रबंध निदेशक	ह0/– संजय उप्रेती निदेशक
स्थान : नई दिल्ली		
दिनांक : 25 अगस्त, 2017		

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
12 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण			
	विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**12/02/2016 से 31/03/2017 की अवधि के लिए**
			रुपये
I.	प्रचालनों से आय		-
II.	अन्य आय	**14**	124,807,805
III.	**कुल आय (I+II)**		**124,807,805**
IV.	**व्यय**:		
	(क) कर्मचारी हित व्यय	**15**	42,857
	(ख) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**8**	136,424
	(ग) अन्य व्यय	**16**	31,939,431
	कुल व्यय		**32,118,712**
V.	आपवादिक और असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)		92,689,092
VI.	आपवादिक मदें		-
VII.	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V - VI)		**92,689,092**
VIII.	असाधारण मदें		-
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII - VIII)**		**92,689,092**
X.	कर व्ययः		
	(1) चालू कर		38,881,256
	(2)) आस्थगित कर		(5,485,582)
XI.	**परिचालन शुरू करने की अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX-X)**		**59,293,418**
XII.	परिचालन बंद करने की अवधि के लिए लाभ/(हानि)		-
XIII.	परिचालन बंद करने की अवधि से कर व्यय		
XIV.	**परिचालन बंद करने की अवधि से लाभ/(हानि) (कर उपरांत) (XII - XIII)**		-
XV.	**अवधि के लिए लाभ/(हानि (XI + XIV)**		**59,293,418**
XVI.	**आय प्रति इक्विटी शेयर** :		
	(1) बेसिक		43.81
	(2) तनुकृत		43.55
XVII.	**वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां**	**1 से 22**	

यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित लाभ एवं हानि विवरण है।

कृते सहगल मेहता एंड कंपनी	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या : 003330एन ह0/– साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल सदस्यता संख्या : 515717	ह0/– अचल खरे प्रबंध निदेशक	ह0/– संजय उप्रेती निदेशक
स्थान : नई दिल्ली		
दिनांक : 25 अगस्त, 2017		

	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
	12 फरवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण		
	विवरण		**31 मार्च, 2017 को**
			रुपये
क	**परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर और मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/(हानि)	92,689,092	
	मूल्यह्रास	136,424	
	ब्याज आय	(124,802,079)	
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**(31,976,562)**	
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
	जोड़ेः गैर चालू देयताओं में वृद्धि		
	जोड़ेः चालू देयताओं में वृद्धि	22,215,647	
	घटाएंः दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमों में वृद्धि	(1,299,599)	
	घटाएंः अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों में वृद्धि	(432,127)	
	घटाएंः अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	(104,781,827)	
	परिचालन से प्राप्त/में (प्रयुक्त) रोकड़	**(116,274,469)**	
	घटाएंः वर्ष के दौरान अदा किया गया कर	**(34,373,249)**	
	परिचालन गतिविधियों से प्राप्त/में (प्रयुक्त) शुद्ध रोकड़ (क)		**(150,647,718)**
ख	**निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद/चालू पूंजीगत कार्य	(117,255,914)	
	बैंक निक्षेपों में वृद्धि (12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंक निक्षेप)	(1,800,000,000)	
	ब्याज आय	124,802,079	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ख)		**(1,792,453,835)**
ग	**वित्तपोषण की गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से लाभ	2,000,000,000	
	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	3,000,000,000	
	वित्तपोषण की गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ग)		**5,000,000,000**
	रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**3,056,898,447**
	अवधि के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		**-**
	अवधि के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		**3,056,898,447**
	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक		
	(i) बैंकों में शेष		
	- चालू खाते में	3,002,177,019	

	- फ्लेक्सी खाते में	54,687,582	
	(ii) अग्रदाय खाता	33,846	
	कुल रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		**3,056,898,447**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		2	

1. उपरोक्त रोकड़ प्रवाह विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक–3 में दी गई अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

2. यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित रोकड़ प्रवाह विवरण है।

कृते सहगल मेहता एंड कंपनी	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या : 003330एन ह0/– साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल सदस्यता संख्या : 515717	ह0/– अचल खरे प्रबंध निदेशक	ह0/– संजय उप्रेती निदेशक
स्थान : नई दिल्ली		
दिनांक : 25 अगस्त, 2017		

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
12 फरवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां	
1.	**सामान्य सूचना**
	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसकी स्थापना भारत में 12 फरवरी, 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के तहत, चल स्टाक तथा अन्य रेल आधारित यातायात, जैसा की भारत सरकार या रेल मंत्रालय या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, सहित भारत में सभी प्रकार की रेल परियोजनाओं के लिए रेल अवसंरचनाओं तथा संबंधित संभार तंत्र प्रणालियों हेतु योजनाएं बनाने, डिजाइन तैयार करने, विकास, निर्माण, विनिर्माण, एसेंबलिंग, फेब्रीकेटिंग, प्रोसेसिंग, संस्थापन, अनुरक्षण, परिचालन और वित्तपोषण से संबंधित कार्य करने के प्रयोजन से किया गया है। ।
2.	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश**
2.1	**वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार**
	कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी ने ये वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2016 के पैराग्राफ 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए हैं। वित्तीय विवरण परंपरागत लागत परिपाटी और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में दिए गए अन्य मापदंडों के अनुसार, चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। उत्पादों की प्रकृति और प्रोसेसिंग हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नगद एवं नकद समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू – गैर चालू वर्गीकरण के लिए अपना परिचालन चक्र 12 माह तय किया है।
2.2	**अनुमानों का प्रयोग**
	सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान लगाने अपेक्षित होते हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों, देयताओं की सूचित राशि, आकस्मिक परिसंत्तियों एवं देयताओं के प्रकटन और वर्षों के लिए राजस्व और व्ययों की सूचित राशि का प्रकटन करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी तरह के बदलाव को वर्तमान और भावी अवधियों में भावी प्रभाव से लेखाबद्ध किया जाता है।
2.3	**आपवादिक और असाधारण मदें**
	आय या व्यय जो ऐसी घटना या लेनदेन के कारण होते हैं, जो कंपनी की साधारण गतिविधियों से स्पष्ट रूप से भिन्न है, उन्हें असाधारण मदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय विवरणों में ऐसी घटना/लेन–देन का विशिष्ट प्रकटन किया गया है। इसी प्रकार कंपनी के नियंत्रण से बाहर कोई बाहरी घटना, जो आय या व्यय को प्रभावित करती है, को असाधारण मद की तरह माना जाता है और इसका प्रकटन किया जाता है।
2.4	**तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाएं और पूर्व अवधि की मदें**
	पूर्व अवधि की मदें, जो पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई भूल–चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में पता चलती हैं, उन्हें चालू वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और पूर्व अवधि की मदों पर भी विचार किया गया है।

2.5	**अचल परिसंपत्तियां और मूल्यह्रास**
	क) मूर्त अचल परिसंपत्तियां मूर्त परिसंपत्तियों का आंकलन लागत मॉडल (अर्थात् लागत घटा कोई संचयी मूल्यह्रास और कोई संचित क्षत हानि) के आधार पर किया जाता है। मूर्त अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण लागत पर दर्शाई जाती हैं, जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आवक मालभाड़ा, चुंगी, कर और आकस्मिक व्यय शामिल हैं। अचल परिसंपत्ति की किसी मद से संबंधित बाद के व्यय इसके बही मूल्य में केवल तभी जोड़े जाते हैं, जब वे इसके पूर्व में आकलित निष्पादन के मानक से बढ़कर मौजूदा परिसंपत्ति से भावी लाभों में वृद्धि करते हैं। अचल परिसंपत्तियों की मदें, जो सक्रिय उपयोग से हटा दी गई हैं और निपटान के लिए रखी गई हैं, उन्हें उनके शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य से कम पर आंका जाता है और इन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया जाता है। किसी प्रत्याशित हानि को लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत लेखाबद्ध किया जाता है। रिटायरमेंट के कारण उत्पन्न हानि और अचल परिसपंत्तियों, जो लागत पर दर्शाई जाती हैं, के निपटान से होने वाली हानि या लाभ को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।
	ख) मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के तहत निर्धारित आयु के अनुसार परिसपंत्ति की अनुमानित उपयोगी आयु के लिए सीधी–रेखा विधि से अनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास निकाला जाता है। उस माह से लीज की अवधि के लिए लीजहोल्ड अभिवृद्धियों को परिशोधित किया जाता है, जिसमें ऐसी अभिवृद्धियां फलीभूत हुई हैं।
	ग) अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपयोगी आयु पर समानुपातिक आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।
	घ) प्रगतिशील पूंजीगत परियोजना कार्य
	व्यय, जो कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से पहचाने जा सकते हैं, उसे नोट 8(बी) ''प्रत्यक्ष परियोजना व्यय'' के तहत ''प्रगतिशील पूंजीगत कार्य'' में डेबिट किया जाता है। परियोजना से सीधे जुड़े कर्मचारी लाभ की प्रकृति वाले अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना से प्रभारित किए गए हैं। अन्य व्यय 31 मार्च, 2017 को परियोजना के लिए नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर समानुपात में परियोजना को अंतरित किए गए हैं।
2.6	**अनर्जक**
	लेखांकन मानक–28 के अनुसार, अनर्जक परिसंपत्ति (एएस–28), कंपनी की परिसंपत्तियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती ताकि इसका निर्धारण किया जा सकें कि अनर्जक का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है तो परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोगी मूल्य से अधिक आंकी जाती है। अनर्जक हानि को तब लेखाबद्ध किया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि या इसकी रोकड़ जनरेटिंग यूनिट इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मत है कि कंपनी की अचल परिसंपत्ति का आर्थिक निष्पादन अनुमान से कमतर नहीं है और इसलिए तुलन पत्र की तिथि पर कोई परिसंपत्ति अनर्जक नहीं है।
2.7	**राजस्व को लेखाबद्ध करना**
	राजस्व को कार्य की प्रकृति के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है, जब इन्हें व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रख कर आंका जा सके और उनकी वसूली निश्चित हो। (क) बैंक में सावधि जमाओं पर ब्याज को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। (ख) आय की अन्य मदें तब लेखाबद्ध की जाती हैं जब इन्हें प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है।

2.8	**चालू और आस्थगित कर**
	कर योग्य आय के आधार पर आय कर का निर्धारण किया जाता है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कर क्रेडिट की गणना की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में खरीद के आधार पर सर्वकालिक अंतरों के लिए आस्थगित कर लेखाबद्ध किए जाते हैं। आस्थगित कर उस सीमा तक लेखाबद्ध और आगे ले जाए जाते हैं, जहां तक इस बात उपयुक्त निश्चितता हों कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन कर दरों और कर कानूनों के द्वारा किया जाता है, जो लागू हैं या तुलन पत्र की तिथि पर पर्याप्त रूप से लागू थे। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समूह अलेखाबद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, का पुनः आकलन करता है। अनावशोषित मूल्यह्रास/आगे ले जाई गई हानियों के संबंध में आस्थगित कर उस सीमा तक लेखाबद्ध किए जाते हैं, जहां इस बात की निश्चितता होती है कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं बराबर की जाती हैं, जब लेखाबद्ध राशियों को निर्धारित करने का कानूनी लागू करने योग्य अधिकार हो और निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता का निपटान करने का इरादा हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं बराबर की जाती हैं, जब चालू कर को दर्शाने वाले देयताओं के मुकाबले संपत्तियों को निर्धारित करने का कानूनी लागू करने योग्य अधिकार हो और जहां आय पर कर से संबंधित आस्थगित कर देयताओं और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस लागू कराधान कानूनों द्वारा वसूला जाता है।
2..9	**प्रति शेयर आमदनी**
	प्रति शेयर बेसिक आमदनी की गणना कर उपरांत लाभ/हानि को वर्ष के दौरान भारित औसत शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है। तनुकृत आय प्रति शेयर की गणना इक्विटी शेयरधारकों को रोप्य वर्ष के शुद्ध लाभ को सभी संभावित इक्विटी शेयरों के लिए समायोजित वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।
2.10	**महत्वपूर्ण घटनाएं**
	तुलन पत्र तिथि के बाद होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार किया गया है।
2.11	**पट्टा लेखांकन**
	वित्त पट्टे, जो प्रभावी तरीके से कंपनी को अंतरित किए गए हैं और जिनमें पट्टाधीन परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए सभी जोखिम और लाभ हैं, पट्टा अवधि के प्रारंभ में न्यूनतम भुगतानों के उचित मूल्य अैर मौजूदा मूल्य से कम पर पूंजीकृत किए जाते हैं और इन्हें पट्टाधीन परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। पट्टा भुगतान को प्रतिफल की स्पष्ट दर के अधार पर वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच प्रभाजित किया जाता है। वित्त प्रभार लाभ एवं हानि विवरण में ऋण की लागतों के रूप में लेखबद्ध किए जाते हैं। पट्टे, जिनमें पट्टाधीन अवधि के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ, पट्टे पर देने वाला प्रभावी ढंग से अपने पास रखता है, उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत पट्टा भुगतान पट्टा अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाए जाते हैं, जब तक कि ऐसे व्यवस्थित आधार न हों, जो पट्टा व्ययों के समय प्रतिरूप (पैटर्न) के अधिक द्योतक हैं।
2.12	**रोकड़ प्रवाह विवरण**
	''रोकड़ प्रवाह विवरण'' पर लेखांकन मानक 3 में दी गई अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किए जाते हैं और यह कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण को दर्शाता है। रोकड़ और बैंक शेष, जिसमें मूल्य में मामूली परिवर्तन का जोखिम होता है, जिनकी अवधि 3 माह तक की है, इन्हें कंपनी के रोकड़ प्रवाह विवरण में कंपनी के रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल किया जाता है।
2.13	**प्रारंभिक व्ययों का निरूपण**
	सभी प्रारंभिक और स्थापना पूर्व के व्यय अमूर्त होते हैं और इन्हें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी अमूर्त परिसंपत्तियों हेतु एएस–26 के अनुसार, वर्ष जिसमें इन्हें खर्च किया गया है, के दौरान बट्टे खाते में जा रहा है।
2.14	**आकस्मिक देयताओं का निरूपण**

	सभी ज्ञात देयताएं लेखों में दशाई जाती हैं, सिर्फ उन देयताओं को छोड़कर जो आकस्मिक प्रकृति की होती हैं, जिनके संबंध में लेखों में उचित प्रकटन किए गए हैं।
2.15	लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, उनका प्रकटन नहीं किया गया है। जब ऐसी लेखाकंन नीतियां प्रासंगिक हो जाएंगी, तो इनका प्रकटन किया जाएगा।

टिप्पणी संख्या : 3 – शेयर पूंजी	31 मार्च, 2017 को
विवरण	(राशि रुपए में)
प्राधिकृत	
प्रत्येक 1000/– रुपए के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	200,000,000,000
जारी किए गए	
प्रत्येक 1000/– रुपए के 20,00,000 इक्विटी शेयर	2,000,000,000
अंशप्रदत्त और चुकता पूंजी	
प्रत्येक 1000/– रुपए के 20,00,000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर	2,000,000,000
जोड़	**2,000,000,000**

टिप्पणी संख्या : 3.1 – शेयरों की संख्या समाधान	इक्विटी शेयर अवधि 12/02/2016 से 31/03/2017	
	शेयरों की संख्या	(राशि रुपए में)
अवधि के आरंभ में बकाया शेयर	-	-
अवधि के दौरान जारी शेयर	2,000,000	2,000,000,000
अवधि के दौरान वापस लिए गए शेयर	-	-
अवधि के अंत में बकाया शेयर	**2,000,000**	**2,000,000,000**

टिप्पणी संख्या : 3.2

कंपनी 100 प्रतिशत रेल मंत्रालय के स्वामित्व के अधीन है।

टिप्पणी संख्या : 3.3

कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिन्हें इक्विटी शेयर कहा गया है और जिनका सममूल्य 1000 रुपये है। एक इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की बची परिसंपत्तियों को पाने के हकदार होंगे। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरधारकों को वितरण के लिए घोषित लाभांश शून्य था।

टिप्पणी संख्या : 3.4 – कंपनी में कुल शेयरधारिता के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

विवरण	**31 मार्च, 2017 को**	
	धारित शेयरों की संख्या	**धारिता का प्रतिशत**
रेल मंत्रालय	2,000,000	100%
जोड़	**2,000,000**	**100%**

टिप्पणी संख्या : 4 – आरक्षित निधियां और अधिशेष	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को**
	(राशि रुपए में)
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष (कमी)	
प्रारंभिक शेष	-
जोड़ेः 12/02/2016 से 31/03/2017 तक की अवधि के लिए लाभ (हानि)	59,293,418
अंतिम शेष	**59,293,418**

टिप्पणी संख्या : 5 – शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को (राशि रुपए में)**
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	3,000,000,000
जोड़	**3,000,000,000**
शेयरों की संख्या जो जारी किए जाने हैं	3,000,000
अवधि, जिससे पहले शेयर जारी किए जाने हैं	31 मई, 2017
क्या कंपनी के पास शेयर आवेदन राशि में से शेयरों के आबंटन पर शेयर पूंजी राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है	हां

टिप्पणी संख्या : 6 – अन्य चालू देयताएं	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को (राशि रुपए में)**
परियोजना कार्य के लिए देय	16,911,764
प्रतिभूति जमा	74,000
देय कर्मचारी व्यय	1,201,620
सांविधिक देयताएं	1,798,428
देय वेतन कटौतियां	981,044
विविध लेनदार–अन्य	1,248,791
जोड़	**22,215,647**

टिप्पणी संख्या : – 7 अल्पकालिक प्रावधान	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को (राशि रुपए में)**
आयकर के लिए प्रावधान (टीडीएस और अग्रिम कर का निवल)	4,508,007
जोड़	**4,508,007**

टिप्पणी संख्याः 8 (क)

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
	अचल परिसंपत्तियां								
विवरण	सकल ब्लॉक				संचयी मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	प्रारंभिक शेष	अभिवृद्धि	(निपटान)	31 मार्च, 2017 को	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	निपटान पर	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
ईडीपी परिसंपत्ति	-	873,500	-	873,500	-	98,528	-	98,528	774,972
कार्यालय उपस्कर	-	702,029	-	702,029	-	37,896	-	37,896	664,133
कुल मूर्त परिसंपत्ति	**-**	**1,575,529**	**-**	**1,575,529**	**-**	**136,424**	**-**	**136,424**	**1,439,105**

टिप्पणी 8(ख) प्रत्यक्ष परियोजना व्यय

	सकल ब्लॉक				संचयी मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	प्रारंभिक शेष	अभिवृद्धि	(निपटान)	31 मार्च, 2017 को	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	निपटान पर	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
चालू पूंजीगत कार्य									
एफएलएस व जियो तकनीकी सर्वेक्षण		104,814,257	-	104,814,257	-	**-**	**-**	-	104,814,257
साधारण परियोजना व्यय		3,274,848	-	3,274,848	-	**-**	**-**	-	3,274,848
आकस्मिक परियोजना व्यय		7,591,280	-	7,591,280	-	**-**	**-**	-	7,591,280
जोड़		**115,680,385**	**-**	**115,680,385**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115,680,385**

टिप्पणी संख्या : 9 – आस्थगित कर परिसंपत्ति	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को**
	(राशि रुपए में)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	5,485,582
जोड़	**5,485,582**

आस्थगित कर की गणना	(राशि रुपए में)	(राशि रुपए में)
क) मूल्यह्रास के लेखा संबंधी देयता		
आयकर अधिनियम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	1,260,827	
कंपनी अधिनियम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	1,439,105	
अंतर		**(178,278)**
प्रारंभिक व्यय के लेखा संबंधी परिसंपत्ति		
भविष्य में कटौती योग्य प्रारंभिक व्यय	16,575,666	
अस्थायी अंतर		**16,575,666**
अस्थायी अंतरों की निवल राशि		**16,397,388**
कर दर		**33.454%**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (निवल)		**5,485,582**

टिप्पणी संख्या : 10 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को**
	(राशि रुपए में)
पूंजी अग्रिम	
अचल परिसंपत्तियों के लिए अग्रिम	55,499
अप्रतिभूत, जो अच्छा माना गया	
प्रतिभूति जमा	1,244,100
जोड़	**1,299,599**

टिप्पणी संख्या : 11 – रोकड़ और बैंक शेष	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को**
	(राशि रुपए में)
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	
(i) बैंक में शेष	
- चालू खाते में	3,002,177,019
-फ्लेक्सी खाते में	54,687,582
(ii) अग्रदाय खाता	33,846
अन्य बैंक शेष	
(i) बैंक में शेष	
- मियादी जमा (3 माह से अधिक और 12 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ)	1,800,000,000
जोड़	**4,856,898,447**

टिप्पणी संख्या : 12 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को**
	(राशि रुपए में)
नकद या किसी अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम	
(अप्रतिभूति, अच्छा माना गया)	
कर्मचारी आवास के लिए प्रतिभूति जमा	310,000
आरडीएसओ से वसूली योग्य	122,127
जोड़	**432,127**

टिप्पणी संख्या : 13 – अन्य चालू परिसंपत्तियां	
विवरण	**31 मार्च, 2017 को (राशि रुपए में)**
पूर्वदत्त व्यय	776,472
एफडीआर पर उपचित ब्याज	104,005,355
जोड़	**104,781,827**

टिप्पणी संख्या : 14 – अन्य आय	
विवरण	**12.02.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए**
	(राशि रुपए में)
(क) बैंकों से ब्याज आय	124,802,079
(ख) विविध आय	5,726
जोड़	**124,807,805**

टिप्पणी 15 कर्मचारी हित व्यय		
विवरण	**लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित व्यय**	**अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित व्यय**
	(राशि रुपए में)	(राशि रुपए में)
वेतन एवं मजदूरी	42,857	5,681,109
भविष्य एवं अन्य निधि में अंशदान	-	882,806
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	530,646
जोड़	**42,857**	**7,094,561**

टिप्पणी सख्या : 15.1 – परियोजना से संबंधित कर्मचारी हित व्यय सीधे परियोजना से प्रभारित किए गए हैं और शेष कर्मचारी हितलाभ व्यय परियोजना के लिए नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और परियोजना से इतर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर परियोजना एवं लाभ एवं हानि खाते में समानुपात में विनियोजित किए गए हैं।

टिप्पणी संख्या : 16 – अन्य व्यय		
विवरण	**लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित व्यय**	**सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित व्यय**
	(राशि रुपए में)	(राशि रुपए में)
विद्युत और ईंधन	12,852	32,130
किराया	744,880	1,862,200
मरम्मत एवं अनुरक्षण	87,130	2,16,850
दरें और कर	1,276	-
लेखापरीक्षकों को भुगतानः		
लेखापरीक्षक – सांविधिक लेखापरीक्षा	57,500	-
मुद्रण और लेखन–सामग्री	43,409	31,591
यात्रा और स्थानीय परिवहन	442,886	1,045,871
संचार	23,327	30,279
पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,800	8,845
विधि और परामर्श प्रभार	854,912	305,571
प्रारंभिक व्यय	29,634,610	-
अन्य व्यय	34,849	228,445
कुल	**31,939,431**	**3,761,782**

टिप्पणी संख्या : 16.1 – परियोजना से संबंधित अन्य व्यय सीधे परियोजना से प्रभारित किए गए हैं और शेष अन्य व्यय परियोजना के लिए नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और परियोजना से इतर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर परियोजना एवं लाभ एवं हानि खाते में समानुपात में विनियोजित किए गए हैं।

टिप्पणी संख्या : 17
ऐसे कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सूचित नहीं किए गए, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' में परिभाषित किए गए हैं, जिनके लिए कंपनी की कोई देनदारी बकाया हो।
टिप्पणी संख्या : 18 – अन्य प्रकटन
विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य
विदेशी मुद्रा में आय – शून्य

टिप्पणी संख्या : 19 – संबंधित पक्ष प्रकटन

19.1 **संबंधित पक्ष और संबंध की प्रकृति**

क्र. सं.	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध की प्रकृति**
1	अचल खरे	निदेशक
2	पी. वी. वैद्यलिंगम	निदेशक
3	संजय उप्रेती	निदेशक
4	मुकुल सरन माथुर	निदेशक

19.2 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटन

संबंधित पक्ष का नाम	**अवधि के दौरान लेनदेन का कुल मूल्य**
	(राशि रुपए में)
शून्य	
जोड़	**-**

टिप्पणी संख्या : 20 – प्रति इक्विटी शेयर आमदनी

20.01 बेसिक ईपीएस की गणना

विवरण	**12.02.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए**
अवधि के लिए लाभ (हानि)	59,293,418
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,353,425
बेसिक ईपीएस	43.81

20.02 तनुकृत ईपीएस की गणना

विवरण	**31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए**
अवधि के लिए लाभ (हानि)	59,293,418
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,361,644
बेसिक ईपीएस	43.55

टिप्पणी संख्या : 21 – विनिर्दिष्ट बैंक नोट रिपोर्टिंग

08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान धारित और लेन–देन किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) का विवरण

विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
08.11.2016 को अंतिम हस्तगत रोकड़	-	3,085	3,085
(+) अनुमत प्राप्तियां	-	20,085	20,085
(-) अनुमत भुगतान	-	17,633	17,633
(-) बैंकों में जमा राशि	-	-	-
30.12.2016 को अंतिम हस्तगत रोकड़	-	5,537	5,537

'विनिर्दिष्ट बैंक नोट' का वही अर्थ होगा जो आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.3407(ई) में दिया गया है।

टिप्पणी संख्या : 22

स्थापना के बाद का यह पहला वर्ष होने के कारण, पिछले वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

ये समसंख्यक तारीख के हमारे तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और रिपोर्ट में संदर्भित टिप्पणियां हैं।

कृते सहगल मेहता एंड कंपनी	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या : 003330एन ह0/– साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल सदस्यता संख्या : 515717	ह0/– अचल खरे प्रबंध निदेशक	ह0/– संजय उप्रेती निदेशक
स्थान : नई दिल्ली		
दिनांक : 25 अगस्त, 2017		

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षक, रेलवे वाणिज्यिक का कार्यालय
कॉफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज,
नई दिल्ली – 110 002

संख्या : पीडीए/आरसी/आरपीएसयू/32–96/एनएचएसआरसीएल/2017–18/104 दिनांक 24.10.2017

सेवा में,

अध्यक्ष,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

विषयः– **12 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।**

महोदय,

मैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 12 फरवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियत्रंक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,
ह0/–
(बी0 आर0 मोण्डल)
प्रधान निदेशक/आर0सी0

12/02/2016 से 31/03/2017 की अवधि के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, 12/02/2016 से 31/03/2017 की अवधि के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना, कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा दिनांक 25/08/2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 12/02/2016 से 31/03/2017 की अवधि के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य–पत्र तक पहुंचे बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है तथा मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षक तथा कंपनी कार्मिकों तथा कुछ लेखा संबंधी रिकॉर्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी, लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिसके फलस्वरूप, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देनी हो।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से
ह0/–
(बी0 आर0 मोण्डल)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
रेलवे वाणिज्यिक, दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अक्तूबर, 2017

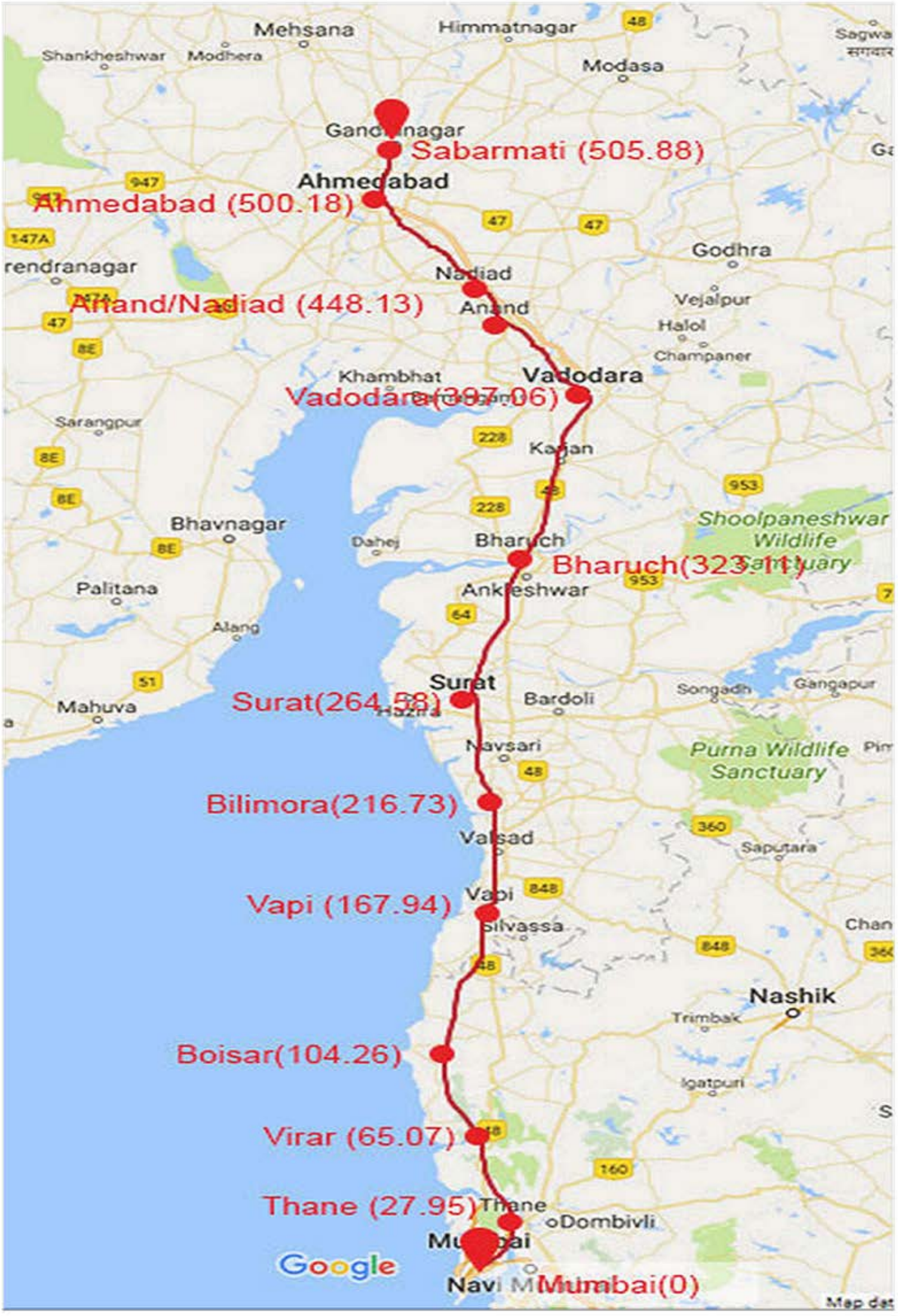

Sabarmati (505.88)
Ahmedabad (500.18)
Anand/Nadiad (448.13)
Vadodara (397.06)
Bharuch(323.11)
Surat(264.58)
Bilimora(216.73)
Vapi (167.94)
Boisar(104.26)
Virar (65.07)
Thane (27.95)
Mumbai(0)
Mehsana
Himmatnagar
Shankheshwar
Modhera
Modasa
Gandhinagar
Ahmedabad
Godhra
Nadiad
Anand
Vejalpur
Halol
Champaner
Khambhat
Vadodara
Sarangpur
Karjan
Bhavnagar
Dahej
Bharuch
Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary
Palitana
Ankleshwar
Alang
Surat
Mahuva
Bardoli
Songadh
Gangapur
Hazira
Navsari
Purna Wildlife Sanctuary
Valsad
Saputara
Vapi
Silvassa
Nashik
Trimbak
Igatpuri
Thane
Dombivli
Mumbai
Navi Mumbai
Google
Map data